

इंस्टाग्राम पर पिस्टल लहराया, गिरफ्तार



नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ फोटो अपलोड करने वाले शख्स को बाहरी जिले की पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी शख्स ऐसी पोस्ट कर अपने दोस्तों, अपने जानकारों और इलाके के लोगों के बीच चर्चित होना चाहता था। रनहौला थाने की पुलिस ने इसके पास से देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी युवक का नाम आकाश गोस्वामी बताया गया है। वह उत्तम नगर क्षेत्र के विकास नगर का रहने वाला है। बाहरी जिले के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि 11 फरवरी को इस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पुलिस को मुखबिरो से सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस टीम ने छानबीन शुरू की। पता चला कि वह युवक विकास नगर के शिव विहार इलाके का रहने वाला है। उसकी लोकेशन का पता लगाकर छापा मारा गया और उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया।

नरेला में नौकरों के साथ मिलकर रची थी पिता की हत्या की साजिश

प्रॉपर्टी से बेदखली के डर से बेटे ने करवाई पिता की हत्या

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत एक कलचुगी बेटे ने अपने नौकरों से पिता की हत्या करवा दी। शव को बोरे में भरकर नौकरों ने गंदे नाले में ठिकाने लगा दिया। केस में पुलिस ने आरोपी बेटे समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक की तलाश जारी है। मृतक का नाम रमेश भारद्वाज (67) बताया गया है।

पुलिस के अनुसार 29 जनवरी को एकता अरोड़ा नामक महिला की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने थाने में आकर पिता रमेश भारद्वाज के 28 जनवरी से लापता होने की बात कही थी। रमेश अपनी स्कूटी से नरेला गये थे। बेटे ने पिता के अपहरण की भी आशंका जताई थी। जांच के दौरान पता चला कि रमेश भारद्वाज को आखिरी बार उसके पुराने नौकर जितेंद्र के साथ देखा गया था। पुलिस द्वारा महिलाओं समेत कई लोगों से पूछताछ की गई। जांच से पता चला कि 28 जनवरी को रमेश भारद्वाज जितेंद्र के फ्लैट पर गए थे और तब से ही रमेश और

आरोपी बेटे समेत दो अरेस्ट, एक फरार



जितेंद्र लापता है। आगे तपतीश में पता चला कि जितेंद्र का बेटा विशाल भी फरार है। उसका फोन बंद मिला। काफी प्रयासों से विशाल के एक अन्य नंबर की पहचान की गई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अटैच था। तकनीकी निगरानी के आधार पर विशाल को पकड़ लिया गया। लगातार पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि रमेश भारद्वाज की हत्या उसके पिता

जितेंद्र ने ही की है। उसने पिता के कहने पर शव को ठिकाने लगाया था। विशाल ने 28 जनवरी को शव बोरे में भरकर पास के नाले में फेंक दिया था। आरोपी की निशानदेही पर बोरे में बंद शव क्षत-विक्षत हालत में बरामद कर लिया गया। विशाल पर विशाल को पकड़ लिया गया। भारद्वाज ने ही अपने पिता को खत्म करने की साजिश रची थी। क्योंकि उसके पिता

बेदखली के डर से पिता को ही रास्ते से हटवाया

लव को आशंका थी कि जल्द ही उसे घर खाली करना पड़ेगा। पिता उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी भी दे रहे थे। लव भारद्वाज को भी पकड़ लिया गया। उसने अपराध कबूल कर लिया है। पहले पकड़े गये विशाल ने बताया कि पिता जितेंद्र पर भारी कर्ज था। इसी का फायदा लव ने उठाया और उन्हें पैसे की पेशकश की। हत्या से कुछ दिन पहले लव ने जितेंद्र को टोकन मनी के तौर पर 35 हजार रुपये भी दिए थे। पोस्टमार्टम में मौत का कारण गला घोटना आया है। लव को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आरोपी विशाल अभी पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। जितेंद्र का पता लगाने के लिये छापेमारी जारी है।

हमेशा उसकी बहन को पक्ष लेते थे। पिता उसे घर से निकालना चाहते थे क्योंकि उसने प्रेम विवाह किया था। रमेश भारद्वाज ने सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन के तहत अपने बेटे व उसके परिवार को घर से निकालने के लिए डीएम के समक्ष आवेदन भी दिया था।

शब-ए-बारात को लेकर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शाम को शब-ए-बारात के मद्देनजर कई सड़कों के ट्रैफिक में बदलाव किया है। इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी कर जुलूस के दौरान कुछ सड़कों से बचने की सलाह दी गई है। लोगों को रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंचने के लिये तय किये गये कुछ मार्गों का सुझाव भी दिया गया है।

पुलिस के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को शब-ए-बारात जुलूस निकाले जाएंगे। इसके समापन तक मध्य दिल्ली में शाम 5 बजे से यातायात प्रतिबंध और बदलाव लागू हो जाएंगे। यातायात पुलिस द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि नेताजी सुभाष मार्ग, एसपीएम मार्ग, चर्च मिशन रोड, खारी



वाहन चालकों को कई इलाकों से बचने की सलाह

बावली रोड, कुतुब रोड, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सुभाष पार्क टी-प्लॉट, शांति वन चौक और छत्ता रेल चौक पर ट्रैफिक की आवाजाही प्रतिबंधित या डायवर्ट की जा सकती है। इसके अलावा फतेहपुरी टी-प्लॉट, बीएच राव रोड, रानी झांसी रोड, सदर थाना रोड,

बीएसजेड मार्ग, बोरा टूटी चौक, रानी झांसी रोड, दिल्ली गेट, राजघाट और आसपास के इलाकों में भी आम वाहनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, लाल कला, चांदनी चौक और तीस हजारी कोर्ट जाने वाले लोगों को देरी से बचने के लिए पर्याप्त समय के साथ अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी।

मेट्रो अकादमी ने सफलतापूर्वक किया आईआरएमएस बैच को प्रशिक्षित, बांटे प्रमाणपत्र



नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो निगम (डीएमआरसी) द्वारा संचालित डीएमआरसी अकादमी ने आईआरएमएस बैच के 26 भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए एक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस बारे में डीएमआरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि अकादमी ने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गत 27 से 31 जनवरी 2025 तक चलाया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2022 आईआरएमएस बैच के 26 भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में परिचालन, सिविल, रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग आदि सहित विभिन्न विभागों का गहन अवलोकन शामिल था। जिसमें ट्रेक इंजीनियरिंग, मांग लोच, यातायात पूर्वानुमान, गैर-किराया बॉक्स राजस्व और मकड़ी मॉडल परीक्षण जैसे प्रमुख विषयों पर सूक्ष्म जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षुओं को इस दौरान निदेशक (संचालन और सेवाएं), प्रमुख कार्यकारी निदेशक, कॉन्ट्रोल संचार और महानिदेशक डीएमआरसी अकादमी जैसे उच्च श्रेणी के अधिकारियों के साथ मध्यम-अनुभव-मिला व साक्षात्कार सत्रों में शामिल होने का अवसर भी मिला। उनके उत्साह और सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता प्रदान की है। अकादमी ने बाद में सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संबंधित प्रमाणपत्र प्रदान किए।

मंडोला 400 केवी सब स्टेशन की मरम्मत, दिल्ली के कई क्षेत्रों में पावर कट की संभावना: डीटीएल

नई दिल्ली। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने कहा है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पावर ग्रिड) के 400 केवी सबस्टेशन मंडोला की वार्षिक मरम्मत आदि के चलते दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस बारे में डीटीएल के प्रवक्ता डाक्टर ऋषिराज ने बताया कि आगामी गर्मियों को देखते हुए निम्नलिखित विद्युत आपूर्ति की तैयारियां की जा रही हैं। इसी के तहत 400 केवी सबस्टेशन मंडोला जो कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पावर ग्रिड) का एक महत्वपूर्ण सबस्टेशन है कि मरम्मत की जाएगी। यह कार्य 14 फरवरी से 21 फरवरी 2025 तक चलना जिसमें पावर ग्रिड द्वारा अपने इस सबस्टेशन में मरम्मत तथा पुराने उपकरणों को बदलने का कार्य करता है। उन्होंने बताया कि उक्त सबस्टेशन से दिल्ली के नरेला, गोपालपुर, कश्मीरी गेट, सब्जी मंडी तथा वज्जाराबाद स्थित 220 केवी सबस्टेशन के साथ जुड़कर दिल्ली की विद्युत उपलब्धता को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। ऐसे में पूर्व तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली ट्रांसको का कहना है कि वैकल्पिक स्रोतों से निम्नलिखित विद्युत आपूर्ति करने की पूर्ण व्यवस्था की गयी है। प्रवक्ता का कहना है कि बावजूद इसके कहीं आपात स्थिति में कम समय के लिए पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली एवं उत्तरी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने व उसे शीघ्रतया दूर करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

दर्जनों कालोनियों में दो दिन रहेगी पीने के पानी की किल्लत

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने उपभोक्ताओं से कहा है कि आने वाली 15 और 17 फरवरी 2025 को कई क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। डीजेबी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी वहां आवश्यकता होने पर टैंकरों से निशुल्क जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। डीजेबी के अनुसार भूमिगत जलाशय और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन की फ्लशिंग के वार्षिक कार्यक्रम के कारण 15 फरवरी को जनकपुरी के सी-5/ए ब्लॉक 48 एमआईजी, एजी-1 विकास पुरी, 112 एसएफएस बोडोला, वसुंधरा एन्वेलोव सोसायटी, यू अशोक नगर, सी एंड सी बी ब्लॉक शालीमार बाग बीपीएस, यू एंड वी ब्लॉक शालीमार बाग बीपीएस, एस डी ब्लॉक पीतमपुरा, बीजी-



3/एलआईजी पश्चिम विहार, रमेश नगर, कीर्ति नगर, मानसरोवर गार्डन, सरस्वती गार्डन, मस्जिद मोट पीएच-1 और श्रीनिवासपुरी के आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं मरम्मत के चलते 17 फरवरी को सी-4 ई ब्लॉक जनकपुरी, डीजी-1 विकासपुरी, एलएससी-ई-ब्लॉक विकास पुरी, 1024 पॉकेट सी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स मयूर विहार फेज-तीन, आर-ब्लॉक बीपीएस दिलशाद गार्डन, डीडीए फ्लैट मयूर विहार चरण-तीन, शालीमार पार्क, सीसी ब्लॉक शालीमार बाग

टैंकरों से आपूर्ति की व्यवस्था

बीपीएस, जी एच-1/एमआईजी, अर्चना अपार्टमेंट, पश्चिम विहार, डी-ब्लॉक करम पुरा, पंजाबी बाग, मादी पुर, मस्जिद मोट फेज 7 डीडीए फ्लैट, गिरी नगर, गोविंदपुरी, गोविंदपुरी एक्सटेंशन, पूर्वी अपार्टमेंट, डीडीए फ्लैट सराय काले खां, मोती बाग क्षेत्र, पॉकेट-12 कालकाजी एक्सटेंशन, सरिता विहार की सभी पॉकेट और जसोला विहार आदि से संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। डीजेबी ने संबंधित उपभोक्ताओं को सुझाव दिया है कि जरूरत के अनुसार पहले ही पानी भरकर रख लें। बावजूद इसके अगर जरूरत पड़े तो डीजेबी कार्यालयों से निशुल्क पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं।

बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि मामला अदालत 20 फरवरी को संज्ञान पर करेगी फैसला

एजेसी नई दिल्ली



दिल्ली की एक अदालत 20 फरवरी को यह तय करेगी कि आपा नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मिश्रा ने बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जैन ने आरोप लगाया है कि बांसुरी ने पांच अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ आपमानजनक टिप्पणी की, जिसे उन्होंने दावा किया कि लाखों लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपये बरामद हुए। उनकी शिकायत में कहा गया है कि बांसुरी ने जैन को बदनाम करने और अशुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए यह टिप्पणी की थी। जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें झूठ और धोखेबाज कहकर उनकी और बदनामी की।

पिता पुत्र जूलरी और कैश चोरी के आरोप में अरेस्ट



हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

अपराध शाखा की एईकेसी टीम ने लाखों के आभूषण और नकदी चुराने के आरोप में दो चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं। इनके नाम शेर खान उर्फ शेरू और इमरान हैं। दोनों रंजीत नगर के रहने वाले हैं। इनके पास से 40 हजार रुपये नगदी और आभूषण बरामद हुये हैं। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता के अनुसार सनलाइट कालोनी थाना अंतर्गत 1 फरवरी को चोरी की शिकायत मिली थी। सराय काले खां निवासी काशमी की शिकायत पर ई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी व्यक्ति

शेर खान और उसका बेटा इमरान अपने परिवार के सदस्यों के साथ चोरी करने के बाद अपने किराए के घर बीबी कैप से फरार थे। आरोपियों को पकड़ने के लिये टीम ने मोबाइल फोन ट्रैकिंग (कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा) और फील्ड इंटेलेजेंस सहित उच्च तकनीकों का इस्तेमाल किया। आखिर में बस्मीक मंदिर रणजीत नगर के पास एक्स ब्लॉक से इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। इन्होंने चोरी किए गए सोने के आभूषणों को जामा मस्जिद और रंजीत नगर के सुनारों को बेचा था। चोरी किये गये 50 हजार रुपये कैश में से इनसे 40 हजार रुपये बरामद हो गये हैं।

ELECTION NOTIFICATION FOR GOVERNING BODY OF KIIT COLLEGE OF EDUCATION, SOHNA ROAD, BHONDSI, GURUGRAM

It is notified that the Election of Governing Body of KIIT College of Education, Sohna road, Near Bhondsi, Distt.-Gurugram (HR.) for the posts of:

A. President, Vice President, General Secretary, Treasurer
B. Eleven E.C Members
C. Two Teaching and One Non-Teaching staff representatives shall be held as per the given schedule (Timing:- 10:00 AM - 4:00 PM)

Date of Filing Nomination: 21.02.2025 to 25.02.2025
Date of Scrutiny: 27.02.2025 to 01.03.2025
Date of Withdrawal of Nomination: 03.03.2025
Date of Allotment of Symbols: 05.03.2025
Date of Election and Declaration of Results: 26.03.2025

(Ms. Priyanka Sethi)
(Returning Officer, Ph. 0124-2658000)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्योषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवार दिया गया है कि अभियुक्त महेन्द्र, पुत्र : श्री राम प्रसाद पता: एम-91, कैम्प नं. 3, नांगलोई, दिल्ली ने मुकदमा **FIR No. 110/2017 U/S 25/54/59 Arms Act**, धाना: मायापुरी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त महेन्द्र मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त महेन्द्र फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्योषणा की जाती है कि मुकदमा **FIR No. 110/2017 U/S 25/54/59 Arms Act**, धाना: मायापुरी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त महेन्द्र से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक **22.03.2025** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री कोमल गर्ग
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी-03
कमरा नं. 292, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/1327/WD/2025
(Court Matter)

कार्यालय उपायुक्त, मुख्यालय सोनीपत।

म.न. 47 दिनांक 11.02.2025 धारा 127 (6) बी.एन.एस. धाना सदर गौहाना जिला सोनीपत।

गुमशुदा की पहचान
नाम- अजय।
पिता का नाम- जयकुमार।
पता- वासी गांव बिहोली हाल गांव विघल जिला सोनीपत।
उम्र- 27 वर्ष।
कद- 5 फुट। ईन्च।
हुलिया: रंग गेहुआ, पतला शरीर, गोल चेहरा, काले बाल।
पहनावा: सफेद रंग की शर्ट व कमर में नीले रंग की पैंट व पैरो में सफेद रंग के जुते पहने हुए हैं।
सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अजय पुत्र जयकुमार वासी गांव बिहोली हाल गांव विघल सोनीपत दिनांक 07-02-2025 को घर से काम के लिए कमसपुर गया था जो अभी तक गुम है और घर वापिस नहीं आया है। जिस सम्बंध में मुकदमा उपरोक्त दर्ज रजिस्टर्ड है। अगर उपरोक्त गुमशुदगी बारे किसी व्यक्ति को कोई सूचना मिले तो निम्नलिखित नम्बरों पर सुचित करें।
प्रबन्धक थाना-7419410534 हस्ता/-अपराध अभिलेख अधिकारी,
अनुसंधान कर्ता मो0 न0-9813833302 कृते पुलिस उपायुक्त,
कन्दौल रूम सोनीपत-0130-2222903,100 मुख्यालय, सोनीपत
पौआरडीएच-1084/11/3121/2025/32376/88/7 दि. 13.02.2025

प्रदर्शन कर रहे 10 छात्र को पुलिस ने लिया हिरासत में जामिया में छात्रों का हंगामा

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पीएचडी के दो छात्रों पर विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरोध में छात्रों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। गुरुवार को पुलिस ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा बढ़ाते हुये 10 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया।

मिली जानकारी के अनुसार पीएचडी छात्रों को पिछले साल विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए 'कारण बताओ' नोटिस दिया गया था। इस कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन सोमवार को



शुरू हुआ और छात्र प्रशासन के इस कदम की कड़ी निंदा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने

दावा किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने 'सेंट्रल कैटिन' समेत विश्वविद्यालय की संपत्ति को

नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया, जिससे

प्रशासन को कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय ने छात्रों को विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाने के लिए पुलिस से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था ताकि कानून व्यवस्था बरकरार रह सके। अनुरोध मिलने के बाद पुलिस ने तड़के चार बजे 10 से अधिक छात्रों को विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाया। इसके अलावा हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर के बाहर काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। किसी को भी लां एंड ऑर्डर से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

फॉर्च्यून इंटरनेशनल लि.
CIN : L52324DL1981PL012033

पंजी. कार्यालय : जी-4, कम्युनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028
E-Mail ID for investors: rekha.8rivastava2016@gmail.com Tel: 011-25774212-214, 2571629

31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही / नौ माह हेतु अअंकित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का सार (आकड़ें लाखों में)

विवरण	स्टैंडअलोन परिणाम			समेकित परिणाम		
	समाप्त तिमाही 31.12.2024 (अअंकित)	समाप्त तिमाही 30.09.2024 (अअंकित)	समाप्त नौ माह 31.12.2024 (अअंकित)	समाप्त तिमाही 31.12.2024 (अअंकित)	समाप्त तिमाही 30.09.2024 (अअंकित)	समाप्त नौ माह 31.12.2024 (अअंकित)
पध्दान्तों से कुल आय (जुड़)	-	-	-	-	-	-
अधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कार, अवधारण और/अथवा अरुण्य मर्तों से पूर्व)	-2.79	87.31	81.27	77.74	73.91	-2.79
कर के बाद अधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (अवधारण और/अथवा अरुण्य मर्तों के बाद)	-2.09	66.15	60.81	57.65	54.78	-2.09
अधि हेतु कुल व्यापक आय [अधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	-2.09	66.15	60.81	57.65	54.78	-2.09
भुगतान किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00
रिजर्व (पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-
अन्य प्रति शेयर (मिलर और अतिरिक्त प्रचालनी हेतु)	-0.03	0.94	0.86	0.82	0.78	0.90
सैकिक	-0.03	0.94	0.86	0.82	0.78	0.90
व्ययवृत्तः	-0.03	0.94	0.86	0.82	0.78	0.90

टिप्पणी : उपरोक्त सेवा (लिविंग और अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमों, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास सूचक किये गये तैयारिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। तैयारिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट <http://www.bseindia.com> और कम्पनी के वेबसाइट <http://www.fortuneinternational.in> पर भी उपलब्ध है।

परिणामों को देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

कृते फॉर्च्यून इंटरनेशनल लि.
हस्ता/-
(निवेदन भारद्वाज)
निदेशक
(डीआईएन-00040191)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.02.2025